



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092020-221996
CG-DL-E-25092020-221996

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262]
No. 262]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/आश्विन 3, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ASVINA 3, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

मामला सं. एडी-एसी-05/2020

विषय : मलेशिया से “चाकू और शौचालय संबंधी मदों को छोड़कर, सिरेमिक टेबलवेयर और किचनवेयर” के आयातों द्वारा, चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “चाकू और शौचालय संबंधी मदों को छोड़कर सिरेमिक टेबलवेयर तथा किचनवेयर” के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की कथित प्रवंचना के संबंध में प्रवंचनारोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 7/33/2020-डीजीटीआर.—सिरेमिक टेबल वेयर एंड किचन वेयर मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (जिसे यहां आगे “आवेदक” या “आवेदक एसोसिएशन” भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां “अधिनियम” भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे “नियमावली” भी कहा गया है) के अनुसरण में, घरेलू उद्योग की ओर से विनिर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष यह आरोप लगाते हुए एक आवेदन दायर किया है कि चीन जन.गण. (जिसे यहां आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां निर्यातित “चाकू और शौचालय संबंधी मदों को छोड़कर सिरेमिक टेबलवेयर और किचनवेयर” (जिसे यहां आगे “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पी यू सी अथवा संबद्ध वस्तु” भी कहा गया है)

के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्कों की मलेशिया द्वारा उत्पादित और निर्यातित “चाकू और शौचालय संबंधी मदों को छोड़कर सिरेमिक टेबलवेयर और किचनवेयर” के आयातों द्वारा प्रवंचना की जा रही है।

क. पृष्ठभूमि

1. विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने एक पाटनरोधी जांच में अपने दिनांक 8 दिसम्बर, 2017 (मूल जांच) की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना के अनुसार पहले चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “चालू और शौचालय संबंधी मदों को छोड़कर सिरेमिक टेबलवेयर और किचनवेयर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी और वित्त मंत्रालय द्वारा उनकी अधिसूचना संख्या 4/2018-सीमा शुल्क (ए डी डी) दिनांक 21 फरवरी, 2018 के अनुसार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

ख. विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी)

2. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद वही है जैसाकि मूल जांच में परिभाषित किया गया था अर्थात् “चाकू और शौचालय संबंधी मदों को छोड़कर सिरेमिक टेबल वेयर और किचन वेयर” (जिसे यहां “विचाराधीन उत्पाद” अथवा पी यू सी या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है)। बोन चाइना, स्टोन वेयर और पोर्सलीन वेयर सभी सिरेमिक उत्पाद हैं और इसलिए विचाराधीन उत्पाद में बोन चाइना, स्टोन और पोर्सलीन के किचन वेयर और टेबल वेयर शामिल हैं।
3. सिरेमिक टेबल वेयर और किचन वेयर उत्पादों का प्रयोग घरों और होटलों में खाना तथा पेय पदार्थों को खाने, पीने और परोसने के प्रयोजन हेतु किया जाता है।

ग. विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी)

4. चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क की कथित रूप से प्रवंचना कर रहा विचाराधीन उत्पाद मलेशिया से निर्यातित “चाकू और शौचालय” संबंधी मदों को छोड़कर सिरेमिक टेबलवेयर और किचनवेयर (जिसे “जांचाधीन उत्पाद” अथवा “पी यू आई” भी कहा गया है) है जिसे सीमा शुल्क अधिनियम की उपशीर्ष संख्या 6911 और 6912 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी प्रकार से जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

घ. घरेलू उद्योग

5. आवेदन सिरेमिक टेबल वेयर एंड किचन वेयर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया है। मै० क्ले क्राफ्ट इंडिया प्रा० लि० और मै० सिरेमिक टेबल वेयर प्रा० लि०, जो आवेदक एसोसिएशन के सदस्य हैं, ने स्पष्ट रूप से आवेदन का समर्थन किया है। उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी इससे संतुष्ट हैं कि आवेदन नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) की शर्तों में “घरेलू उद्योग” द्वारा अथवा उसकी ओर से, प्रस्तुत किया गया है।

ड. प्रवंचना किए जा रहे विद्यमान उपाय

6. विद्यमान पाटनरोधी उपायों की विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना संख्या 14/05/2016- डीजीएडी दिनांक 8 दिसम्बर, 2017 के अनुसार चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर सिफारिश की गई थी और वित्त मंत्रालय द्वारा उनकी अधिसूचना संख्या 4/2018 – सीमा शुल्क (ए डी डी) दिनांक 21 फरवरी, 2018 के अनुसार पाटनरोधी शुल्कों को लागू किया गया था। पी यू सी पर वर्तमान उपाय दिनांक 11 जून, 2022 तक लागू हैं।

च. कथित प्रवंचना के आधार

7. प्रवंचनारोधी जांच के लिए आवेदन को मलेशिया से पी यू आई जो कथित रूप से वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना कर रहे हैं, पर सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 4/2018- सीमा शुल्क (ए डी डी) दिनांक 21 फरवरी, 2018 के अनुसार पी यू सी पर उद्बुद्ध विद्यमान पाटनरोधी शुल्क के विस्तार की मांग करते हुए दायर की गई है। आवेदक ने प्रवंचनारोधी जांच की मांग करते हुए कारण / साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ यह भी शामिल है :-

- क. संबद्ध देश और जांचाधीन देश से निर्यातों को शामिल करते हुए व्यापार के पैटर्न में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है जिसके द्वारा चीन जन. गण. से आयातों में गिरावट आई है जबकि संबद्ध देश से 2017-18 के बाद से आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- ख. निर्यातों को अधिकतर ऐसे निर्यातकों के जरिए मलेशिया से भेजा जा रहा है जो संबद्ध वस्तु के उत्पादक नहीं हैं।
- ग. मलेशिया – भारत व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (एम आई सी ई सी ए) और एसियन – भारत युक्त व्यापार करार (ए आई एफ टी ए), दोनों के तहत रियायतों की प्राप्ति न होने का भी प्रमाण है जो इस बात की ओर संकेत करता है कि मलेशिया में निर्यातकों द्वारा मूल्यवर्धन की अनिवार्यता को पूरा नहीं किया जा रहा है।
- घ. अनुरोध में इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य अंतर्निहित है कि जांचाधीन उत्पाद की कीमतें भी पाटित हैं।
- ड. पी यू आई के आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।
8. आवेदक ने प्रवंचनाकारी उत्पादों अर्थात् पी यू आई पर जांच की शुरुआत को तारीख से पाटनरोधी शुल्क को पूर्व प्रभावी रूप से लगाये जाने का अनुरोध किया है।
9. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर नोट किया है कि व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन हुआ है जिसमें मलेशिया से आयातों में बिना किसी पर्याप्त कारण अथवा आर्थिक औचित्य के 2017-18 के बाद से उल्लेखनीय स्तर पर वृद्धि हुई है। इसके द्वारा चीन जन. गण. से पी यू सी के आयातों पर लागू वर्तमान पाटनरोधी उपायों के उपचारात्मक प्रभाव को क्षति पहुंची है।
- छ. जांच शुरुआत**
10. मलेशिया से आयातों के संबंध में आवेदक द्वारा भली भांति संपोषित आवेदन के आधार पर और व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन तथा विद्यमान ए डी उपायों के उपचारात्मक प्रभाव को क्षति पहुंचाने वाले आयातों के संबंध में स्वयं के संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी नियमावली के नियम 27 (3) के अनुसरण में इस जांच की शुरुआत की तारीख से मलेशिया से आयातित पी यू आई पर चीन जन. गण. से आयातों पर विद्यमान पाटनरोधी शुल्क के विस्तार पर विचार करने के लिए नियमावली के नियम 25 और 26 तथा अधिनियम की धारा 9क (1क) के अनुसार, एतद्वारा, एक प्रवंचनारोधी जांच की शुरुआत करते हैं। इसलिए, प्राधिकारी इस पुनरीक्षा के पूरा होने तक मलेशिया से पी यू आई अर्थात् चाकू और शौचालय संबंधी मदों को छोड़कर, सिरेमिक टेबल वेयर और किचन वेयर के सभी आयातों के अंतिम मूल्यांकन की सिफारिश करते हैं।
- ज. जांच की अवधि**
11. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2019 – मार्च, 2020 (12 माह) की है और क्षति अवधि में 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 और पीओआई की अवधियां शामिल होंगी।
- झ. प्रवंचनाकारी देश**
12. प्रवंचनारोधी जांच में शामिल देश मलेशिया (प्रवंचनाकारी देश) है।
- ञ. सूचना प्रस्तुत करना**
13. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर, निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dir16-dgr@gov.in और dd13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का विवरणात्मक भाग पी डी एफ/एम एस वर्ड फॉर्मेट में खोजने योग्य (सर्चबल) हो और डाटा फाइल्स एम एस एक्सेल फॉर्मेट में हो।
14. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं तरीके से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

15. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध ऊपर पैरा 19 में उल्लिखित ई-मेल पते पर प्रस्तुत कर सकता है।
16. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ट. समय-सीमा

17. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in और dd13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने की तारीख या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
18. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

19. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसका पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
20. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
21. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
22. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
23. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
24. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
25. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

26. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

27. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

ढ. असहयोग

28. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

बि. बि. स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2020

Case No.-AD-AC-05/2020

Subject : Initiation of Anti-Circumvention investigation concerning alleged circumvention of anti-dumping duty imposed on imports of “Ceramic Tableware and Kitchenware, excluding knives and toilet items” originating in or exported from China PR, by imports of “Ceramic Tableware and Kitchenware, excluding Knives and Toilet Items” from Malaysia.

F. No. 7/33/2020-DGTR.—Ceramic Tableware & Kitchenware Manufacturers Association (hereinafter referred to as the “Applicant” or “Applicant association”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the “ Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Rules”), alleging that anti-dumping duties imposed on imports of “Ceramic Tableware and Kitchenware, excluding knives and toilet items” (hereinafter also referred to as “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”) are being circumvented by way of imports of “Ceramic Tableware and Kitchenware, excluding knives and toilet items” produced and exported from Malaysia.

A. Background

1. The Designated Authority, in an antidumping investigation, vide its Final Findings Notification F.No.14/05/2016-DGAD dated 8th December, 2017, (“Original investigation”) had earlier recommended the imposition of anti-dumping duty on the imports of “Ceramic Tableware and Kitchenware, excluding knives and toilet items” originating in or exported from China PR, and the definitive anti-dumping duty was imposed by the Ministry of Finance, vide Notification No. 4/2018-Customs (ADD) dated 21st February 2018.

B. Product under consideration (PUC)

2. The product under consideration in the present investigation, is same as defined in the original investigation i.e. “Ceramic table wares and kitchen wares, excluding knives and toilet items” (also referred to as ‘product under consideration’ or PUC or Subject goods). Bone china, stoneware and porcelain-ware all constitute ceramic products and therefore the product under consideration includes kitchenware and tableware of bone china, stone and porcelain.
3. Ceramic tableware and kitchenware products are used for the purpose of eating, drinking and serving food and beverages in homes and hotels.

C. Product under Investigation (PUI)

4. The Product under Investigation which is allegedly circumventing the anti-dumping duty in force on imports of subject goods from China PR is, “Ceramic table wares and kitchen wares, excluding knives and toilet items” exported from Malaysia (“also referred to as “Product Under Investigation” or “PUI”) classified under subheading no. 6911 and 6912 of the Customs Tariff Act. However, Customs classifications are indicative only and, in no way, binding on the scope of the investigations.

D. Domestic Industry

5. The application has been filed by Ceramic Tableware & Kitchenware Manufacturers Association. M/s Clay craft India Pvt Ltd and M/s Ceramic Tableware Pvt Limited, members of the Applicant association have expressly supported the application. On the basis of the information available, the Authority is satisfied that the application has been made ‘by or on behalf of the domestic industry’ in terms of Rule 2 (b) and Rule 5(3) of the Rules.

E. Existing Measures being Circumvented

6. The existing anti-dumping measures were recommended on imports of subject goods from China PR by the Designated Authority vide Notification No.14/05/2016-DGAD dated 8th December 2017 and Anti-dumping duties were imposed by the Ministry of Finance vide Notification No. 4/2018-Customs (ADD) dated 21st February 2018. The existing measure on PUC is in force till 11th June 2022.

F. Grounds for Alleged Circumvention:

7. The application for anti-circumvention investigation has been filed seeking extension of existing anti-dumping duty levied on PUC vide Custom Notification No. 4/2018-Customs (ADD) dated 21st February 2018; to PUI from Malaysia, which is allegedly circumventing the existing anti-dumping duty. The applicant has furnished reasons/ evidence for seeking anti-circumvention investigation which, *inter alia*, includes:
- a) Significant changes in the pattern of trade involving exports from the subject country and country under investigation whereby imports from China PR have declined whereas that from subject country have increased significantly from 2017-18.
 - b) Exports are being mostly consigned from Malaysia, via exporters that are not producers of the subject goods.
 - c) There is also evidence of non-availment of concessions under both Malaysia-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement (MICECA) and the ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA) indicating that the requirement of value addition is not being fulfilled by the exporters in Malaysia.
 - d) The request contains sufficient *prima facie* evidence that the prices of the product under investigation are also dumped.
 - e) The imports of PUI are undercutting the prices of the domestic industry.
8. The Applicant has requested retrospective imposition of Anti-dumping duty circumventing products i.e. PUI from the date of initiation of investigation.
9. The Authority on the basis of *prima facie* evidence provided by the Applicant notes that there is a change in the pattern of trade wherein imports of PUI from Malaysia are increased to significant level since 2017-18 without any sufficient cause or economic justification thereby undermining the remedial effects of the existing anti-dumping measure imposed on imports of PUC from China PR.

G. Initiation

10. On the basis of the duly substantiated application by the Applicant regarding imports from Malaysia and having satisfied itself on the change in pattern of trade, and the imports undermining of the remedial effect of the existing AD measure, the Authority hereby initiates an Anti-Circumvention investigation in accordance with Section 9A (1A) of the Act and Rules 25 & 26 of the Rules to consider extension of existing anti-dumping duty on imports from China PR to the PUI imported from Malaysia from the date of initiation of this investigation in accordance with the Rule 27 (3) of the Rules. The Authority therefore recommends provisional assessment on all imports of the PUI i.e. Ceramic Tableware and Kitchenware, excluding knives and toilet items from Malaysia till the completion of this review.

H. Period of Investigation:

11. The period of investigation (POI) for the present investigation is April 2019- March 2020 (12 Months) and the injury period will cover the periods 2016-17, 2017-18, 2018-19 and the POI.

I. Circumventing Country

12. The country involved in this anti-circumvention investigation is Malaysia (“Circumventing Country”).

J. Submission of Information

13. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg13-dgtr@gov.in , adv11-dgtr@gov.in, dir16-dgr@gov.in and dd13-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
14. The known exporters, Government through its Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below
15. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email address mentioned in Para 19 above.
16. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

K. Time Limit

17. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the email address adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in and dd13-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules
18. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

L. Submission of Information on Confidential Basis

19. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
20. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
21. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
22. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
26. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. Inspection of Public File

27. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

N. Non-Cooperation

28. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority